(102)

प्रकरण संख्या–02/14 तारीख रजु–30.01.2014

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस.

उनवान

सरकार जरिये कृषि अधिकारी (पौधसंरक्षण) एवं उर्वरक निरीक्षक, करौली, जिला करौली

– प्रार्थी

बनाम

अजय कुमार गुप्ता, प्रो. नवीन गैस एजेन्सी, प्राईवेट बस स्टेण्ड के पास, हिण्डौन रोड, करौली तहसील व जिला करौली। – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक–07.11.2017

वाकयात् इस प्रकार हैं कि यह उनवानी प्रकरण न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश करौली से बाद अपील निर्णय प्राप्त हुआ है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 04.12.2013 से इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.08.2011 को अपास्त करते हुए पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की गई है कि अपीलाण्ट/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं न्यायिक नजीरों के मध्येनजर रखते हुए विधि अनुसार निर्णय पारित करे।

बाद अपील निर्णय न्यायालय अपर जिला सैशन करौली से पत्रावली प्राप्त होने पर दर्ज पंजिका करते हुए उभय पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किया गया जिसमें अप्रार्थी जरिये वयकालान्तन उपस्थित आये।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि एक प्रार्थना पत्र पूर्व में इस आशय का कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं उर्वरक निरीक्षक, करौली जिला करौली द्वारा न्यायालय हाजा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6(ए) के अंतर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि दिनांक 07.07.2011 को राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे 'शुद्ध के लिए युद्ध अभियान' के तहत, गठित जांच दल ने प्राईवेट बस स्टेण्ड, हिण्डौन रोड करौली में स्थित मैसर्स नवीन एजेन्सीज का निरीक्षण किया तो निम्न तथ्य पाये गये–

1. जांच के उपरांत बीज, उर्वरक एवं कीट नाशक के वैध अनुज्ञापत्र पाये गये।
2. जांच के दौरान अवैध श्रीराम यूरिया के 1250 कट्टे पाये गये।
3. जांच के दौरान दुकान पर उचित मूल्य सूची, स्टॉक सूची का प्रदर्शन नहीं किया गया।
4. बिल एवं स्टॉक रजिस्टर आदि का रिकॉर्ड संधारण नहीं किया गया।

उर्वरकों का भौतिक सत्यापन करने पर अवैध गोदाम में श्रीराम यूरिया के 1250 बैग पाये गये जिनको रूबरू मौतबरान जब्त राज किया गया। डीलर द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के खण्ड 7 का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के क्लॉज 28 (1) (डी) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीराम यूरिया के 1250 बैग जब्तराज कर मैसर्स नवीन एजेन्सी के प्रो. अजय कुमार गुप्ता निवासी प्राईवेट

जिला कलेक्टर
करौली

बस स्टेण्ड के पास, जाति महाजन, की सुपुर्दगी में दिया गया तथा उसको जब्त माल को सुरक्षित रखने, खुर्द–बुर्द नहीं करने के लिए पाबन्द किया गया। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जब्तशुदा श्रीराम यूरिया के 1250 बैग को राजसात करने एवं उनके अंतरिम निस्तारण का निवेदन किया गया था जिसमें प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करते हुए अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी थी जिसकी पालना में अप्रार्थी के द्वारा जबाव पेश किया था जो शामिल पत्रावली किया गया था तथा विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी व पैरोकार सरकार को तदनुसार सुना जाकर इस न्यायालय से यह निर्णय पारित करते हुए आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्तशुदा 1250 बैग श्रीराम यूरिया के कट्टों को राजसात करने का आदेश दिये जाकर बैग को सुपुर्ददार से प्राप्त कर क्रय विक्रय सहकारी समिति को संभला कर विक्रय की व्यवस्था करने एवं विक्रय से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। साथ ही दुकान एवं गोदाम के निरीक्षण में जो अनियमितताऐं पाई गई थी, उनके संबंध में पृथक से कार्यवाही कृषि विभाग द्वारा की जावे। इस निर्णय के विरुद्ध अप्रार्थी माननीय न्यायालय अपर जिला सैशन न्यायाधीश में अपील दायर की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस न्यायालय के निर्णय को अपास्त कर पुनः पत्रावली रिमाण्ड होने पर उभयपक्षकारों को विधि अनुसार सुना गया।

बहस आवेदक की सुनी गई। अपनी बहस के दौरान कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं उर्वरक निरीक्षक, करौली का कथन है कि अपीलाण्ट एवं उसके अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) व उर्वरक निरीक्षक एवं 'शुद्ध के लिये युद्ध अभियान' टीम के सदस्य जिसमें प्रवर्तन अधिकारी रसद विभाग, बाटतौल व माप निरीक्षक उद्योग विभाग, खाद्य निरीक्षक भी साथ थे, जिन्होंने दिनांक 07.07.2011 को फर्म के बिक्री केन्द्र का निरीक्षण ना करके केवल गोदाम का निरीक्षण किया था जिसमें कथन है कि कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं उर्वरक निरीक्षक, करौली एवं टीम के सदस्यों ने सर्वप्रथम अपीलाण्ट की दुकान (बिक्री केन्द्र) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रो. अजय कुमार गुप्ता स्वयं दुकान पर मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान दुकान पर मूल्य सूची, स्टॉक सूची नहीं पायी गई तथा बिलबुक व स्टॉक रजिस्टर मांगे जाने पर भी उपलब्ध नहीं करवाये गये। इससे जाहिर होता है कि बिलबुक व स्टॉक रजिस्टर वक्त निरीक्षण संधारित नहीं थे। कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं उर्वरक निरीक्षक, करौली द्वारा उक्त कमियों का मौका निरीक्षण रिपोर्ट में उल्लेख किया जाकर प्रो. अजय कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर करवाये गये। अतः अपीलाण्ट एवं उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क तथ्यहीन व बिल्कुल गलत हैं। अपीलाण्ट एवं उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया है कि अपीलाण्ट द्वारा उक्त अवैध गोदाम को नक्शे में शामिल कराने हेतु दिनांक 01.07.2011 को प्रार्थना पत्र पेश कर दिया गया था। इसमें कथन है कि वक्त निरीक्षण कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं उर्वरक निरीक्षक, करौली को इस प्रकार के प्रार्थना पत्र की प्रति के बारे में ना तो मौखिक रूप से बताया गया और ना ही लिखित में कोई प्रति प्रस्तुत की गई तथा कार्यालय में भी इस प्रकार के प्रार्थना पत्र की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। अपीलाण्ट द्वारा जब्ती की कार्यवाही के उपरांत अपने बचाव हेतु बिलबुक,

जिला कलेक्टर
करौली

स्टॉक रजिस्टर गोदाम नक्शा जोड़ने का प्रार्थना पत्र फर्जी तैयार करके उनकी प्रतियां न्यायालय में पेश की हैं। यदि गोदाम को नक्शें में जुड़वाना था तो कार्यालय में प्रार्थना पत्र मय ब्ल्यू प्रिण्ट के पेश करना था तथा गोदाम का उर्वरक निरीक्षक द्वारा सत्यापन करने के उपरांत गोदाम को लाईसेन्स में जोड़ने पर उर्वरकों का गोदाम में भण्डारण किया जाता, जिसकी सूचना कार्यालय में दी जाती है। अपीलाण्ट एवं उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये उपरोक्त तर्कों का विद्वान अपर लोक अभियोजक ने खण्डन किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय को पूर्णतः विधि सम्मत मानते हुए अपीलाण्ट की अपील को अस्वीकार कर खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया है। कृषि अधिकारी (पौध संरक्षण) एवं उर्वरक निरीक्षक, करौलीद्वारा टीम के सदस्यों के साथ उक्त फर्म के लाईसेन्स में अंकित बिक्री केन्द्र व गोदाम के निरीक्षण के दौरान मौके पर उपस्थित लोगों के बताये जाने पर उक्त अवैध गोदाम में यूरिया पाया गया जिसके बारे में पूछताछ करने पर अपीलाण्ट प्रो. अजय कुमार गुप्ता ने स्वयं का होना बताया जबकि लोगों के बताने से पूर्व उसने इस बात को गुप्त रखा। अतः उक्त गोदाम लाईसेन्स में अंकित नहीं होने तथा स्टॉक रजिस्टर में संधारित नहीं करने से साफ जाहिर होता है कि अपीलाण्ट की इस जब्त यूरिया को अवैध रूप से गोदाम में रखकर कालाबाजारी करने की मंशा थी जो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 7 का स्पष्ट उल्लंघन है तथा अधीनस्थ न्यायालय माननीय जिला कलक्टर करौली द्वारा पूर्व में पारित निर्णय पूर्णतः विधि सम्मत है एवं अपीलाण्ट की अपील अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य है।

बहस अप्रार्थी सुनी गई। अपनी बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश सन् 1985 की धारा 4 का किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं किया गया है। प्रतिष्ठान पर मूल्य सूची एवं स्टॉक स्थिति प्रदर्शित की गई है। स्टॉक रजिस्टर में बरामद किये गये उर्वरक का वर्णन है। खरीद बिक्री का वर्णन है। शेष रहे बैलेन्स उर्वरक का वर्णन है। धारा 30 का भी एवं धारा 28 उर्वरक अधिनियम 1985 का किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है। लाईसेन्स शर्त का भी किसी प्रकार से उल्लंघन नहीं किया गया है। गोदाम की सूचना दिनांक 01.07.2011 के दिवस मय नक्शा संबंधित विभाग को दी गई है। धारा 7 का भी किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं है। धारा 31 के अनुसार भी 30.08.2011 से पूर्व कोई नोटिस व सुनवाई का अवसर प्राधिकार निलंबित करने से पूर्व नहीं दिया गया है। धारा 6ए के नोटिस की कार्यवाही व प्राधिकार पत्र का निलंबन आदेश पूर्णतः आरबेट्रेटरी है। अपास्त किये जाने योग्य है। निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 07.07.2011 गोदाम पर रखा गया यूरिया 1250 कट्टे सीज किया गया है। गोदाम पर स्टॉक रजिस्टर, मूल्य सूची आदि नहीं रहते हैं बल्कि व्यापार स्थल (दुकान) पर रखे जाते हैं। प्रार्थी द्वारा न्यायालय में जबाव के साथ संबंधित दस्तावेज स्टॉक रजिस्टर व गोदाम की सूचना आवेदन दिनांक 01.07.2011 मय नक्शा व बिक्री खरीद आदि संबंधित गोदाम की किराया रसीद आदि मूल्य सूची आदि पेश किये गये हैं जिनसे बरामद उर्वरक का विधिवत् होना स्पष्ट होता है। खाद्य विभाग राजस्थान सरकार का प्रपत्र दिनांक 16.06.1981 भी स्पष्ट करता है कि अनाधिकृत गोदाम में पकड़े गये माल का दुकान स्टॉक रजिस्टर में है और अस्थायी गोदाम की सूचना उससे निर्धारित समय के अंदर अनुज्ञापन अधिकारी को

नहीं भेजी है या ऐसी सूचना भेज दी गई है लेकिन लाईसेन्स में इन्द्राज नहीं कराया है या व्यापारी से स्टॉक वस्तु का इन्द्राज करना रह गया है, ऐसे मामलों में अधिक से अधिक विभागीय कार्यवाही द्वारा मामलों का निपटारा किया जाना चाहिये जो संबंधित विभाग द्वारा नहीं किया गया है। इस स्थिति से भी किसी प्रकार का उल्लंघन अपराध प्रार्थी नवीन एजेन्सी द्वारा नहीं किया गया है। इस स्थिति से भी प्रार्थी का बरामद 1250 बैग उर्वरक प्रार्थी नवीन एजेन्सी करौली को लौटाया जाना, सुपुर्द किया जाना न्यायोचित है। नीलामी से प्राप्त विक्रय राशि मय ब्याज दिलाया जाना उचित है। मात्र तकनीकी उल्लंघन पर या प्राइज लिस्ट नहीं होने पर या अन्य तकनीकी उल्लंघन होने पर पकड़ी गई वस्तु का कोनसिफिकेशन किया जाना न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में ए.आ.ई.आर. 1994 एस.सी. पेज 2663 नगेन्द्र राय, बाला केस ऐसे मामलों में न्यायालय को मार्गदर्शन करता है एवं 1979 आर.सी.सी. राजस्थान पेज 96 एवं 347 भी न्यायालय को मार्गदर्शन करता है और जिन निर्णयों के आधार पर भी प्रार्थी को बरामद माल 1250 बैग उर्वरक या विक्रय कर दिया है तो उसकी कीमत मय ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित है और प्रार्थी के विरुद्ध धारा 6ए की कार्यवाही निरस्त किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थी द्वारा कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं की गई है। किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। बरसात के समय में अस्थायी गोदाम में माल खराब न हो इस दृष्टि से माल रखा गया। जिस अस्थायी गोदाम की सूचना दिनांक 01.07.2011 के दिवस उपनिदेशक, कृषि विस्तार करौली को दे दी गई। सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र प्रार्थी के हक में स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश द्वारा दिनांक 04.12.2013 के दिवस इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील प्रार्थी स्वीकार की गई है और न्यायालय हाजा को भी यह निर्देशित किया गया है कि प्रार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात एवं न्यायिक नजरी के मध्येनजर निर्णय पारित करने को आदेशित किया गया है। प्रकरण के निस्तारण में शंकायें कानूनन महत्त्व नहीं रखती हैं। किसी प्रकार का ब्लैकमार्केटिंग का केस नहीं है और ना ही मिलावट का कोई केस है। अंत में जब्तशुदा 1250 बैग श्रीराम यूरिया को रिलीज करने या यदि माल विक्रय हो गया हो तो मय ब्याज राशि दिलाये जाने का कथन किया है।

उभय पक्ष की बहस का मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व साक्ष्य शपथपत्रों एवं प्रस्तुत नजीरों का विवेचन करने पर यह प्रकट होता है कि निरीक्षण दल द्वारा सर्वप्रथम दुकान का निरीक्षण किया गया। दुकान पर व्यवसायी के द्वारा मूल्य सूची एवं स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया था जो लाईसेन्सधारी को लाईसेन्स की शर्तों के अनुसार अनिवार्य है। साथ ही लाईसेन्स में प्रमाणित माल गोदाम में 1250 बैग श्रीराम यूरिया का भण्डारण न कर अप्रमाणित गोदाम में माल का भण्डारण किया गया है जो कालाबाजारी की श्रेणी में आना प्रतीत होता है। यदि अप्रार्थी द्वारा अस्थायी गोदाम का लाईसेन्स कार्यालय उपनिदेशक, कृषि विस्तार, करौली में पेश कर भी दिया था तो भी लाईसेन्स में अस्थायी गोदाम का अंकन हो जाने पर ही अस्थायी गोदाम में भण्डारण किया जाना चाहिये था। हम आवेदक के प्रार्थना पत्र से पूर्णतः सहमत हैं। अप्रार्थी अपने बचाव में कोई ठोस साक्ष्य / दस्तावेज पेश करने में नाकाम रहा है। अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरें इस

जिला कलेक्टर
करौली

प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होती हैं। प्रस्तुत नजीरों के तथ्य इस प्रकरण से पृथक हैं। ऐसी स्थिति में आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। जब्तशुदा 1250 बैग श्रीराम यूरिया के कट्टों को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी करौली को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त बैग सुपुर्दवार से प्राप्त कर नियमानुसार नीलामी कार्यवाही करते हुए विक्रय से प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कराते हुए पालना से अवगत करावें। साथ ही दुकान एवं गोदाम के निरीक्षण में जो अनियमितताऐं पाई गई थी, उनके संबंध में पृथक से कार्यवाही कृषि विभाग द्वारा की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 07.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिमन्यु कुमार)
जिला कलक्टर
करौली

जिला कलक्टर
करौली